रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 214] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1977/कार्तिक 10, 1899

No. 214] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1977/KARTIKA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

RESOLUTION

New Delhi, the 1st November 1977

No. 166(24)/77-FD(A).—The introduction of a rational system of pricing of fertilizers with a view to ensuring a reasonable return on investment and facilitating the healthy development and growth of the fertilizer industry has been engaging the attention of the Government for some time A Committee was established for this purpose under the Chairmanship of Shri S. S. Marathe, Chairman of the Bureau of Industrial Costs and Prices and including representatives of the Industry This Committee submitted the first part of its Report covering nitrogenous fertilizers in May, 1977. After a careful consideration of the Report, Government have decided to introduce a system of retention prices for units in the nitrogenous fertilizer industry with effect from 1st November, 1977. he system will be administered by a Fertilizer Industry Coordination Committee to be set up for this purpose and the Committee will operate a Fertilizer Price Fund Account for purposes of administering the system.

2. The system provides for a fair ex-factory retention price per tonne of Urea (hereinafter referred to as retention price) for each plant based on a capacity utilisation of 80 per cent and a combination of norms and actuals in regard to the consumption of raw materials, utilities and other inputs, maintenance and other costs and provides for a post-tax return of 12 per cent on net worth The retention prices have been worked out on this basis by the Marathe Committee for the period upto 31st March, 1979 for each of the 21 Urea manufacturing plants

3. Government of India have, under the Fertilizer (Control) Order 1957, fixed with effect from 1-11-1977 Rs. 1158 as the maximum price per tonne at which Urea can be sold by a manufacturer at the factory gate. The build up of the price of Urea is as under:—

	(Rs. per tonne)
Ex factory price	1158.00
Excise duty @ 15 per cent *ad valorem*	174.00
Fertilizer Pool Equalisation Charge	65.00
Equated Freight	38.00
Dealer's Margin	115.00
Total i.e. maximum retail price per tonne	1550 00

Government of India have already notified under the Fertilizer (Control) Order 1957 the maximum retail price of Urea to be Rs. 1550 per tonne The companies would continue to pay the excise duty @ 15 per cent and make a contribution of Rs. 65 per tonne towards the Fertilizer Pool Equalisation Charge as is being done today.

4. Units whose retention prices, as fixed under this scheme, are lower than the ex-factory price mentioned in para 3 will be required to credit the difference to the Fund Account referred to in paragraph 1 above in accordance with the procedural instruction to be issued for the purpose The amount will be calculated on the quantities of Urea cleared through excise in any given month from 1st November, 1977 onwards and should be credited to the Fund Account within 45 days from the last day of the month in question Delayed credits will attract interest at the rate of 16 % per annum Units whose retention prices under the scheme are higher than the ex-factory price will receive the difference from the Fund Account on the monthly submission of claims supported by excise clearance certificates. The payments on such claims will be made within sixty days from the date of receipt of the claim Detailed forms and procedures will be prescribed in due course.

5. The Fertilizer Industry Coordination Committee will function under the chairmanship of Secretary (Chemicals and Fertilizers) and include Secretaries in the Ministries of Agriculture, Finance etc There will also be representatives of the industry on the Committee It will have an Executive Director and his office will be adequately staffed to maintain accounts, make and recover payments, undertake costing and other technical functions, collect and analyse production data, costs and other information, review the retention prices periodically in consultation with the Bureau of Industrial Costs and Prices and make adjustments where necessary etc The examination necessary for fixing retention prices for future pricing periods will also be undertaken by the Committee.

6. Retention prices are also being introduced on Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate. In the case of Ammonium Sulphate, however, it has not been possible to fix the retention prices in such a manner as to ensure a post-tax return of 12 per cent on net worth. For the time being, retention prices for Ammonium Sulphate have been worked out to the extent feasible with the assistance of the contribution from the Exchequer to the extent of excise and Fertilizer Pool Equalisation Charge revenues. The ex-factory prices of Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate continue to be Rs. 625 and Rs. 686 per tonne respectively. In respect of these fertilizers also, the difference between the retention price of the unit and the ex-factory price will be paid to the unit from the Fund on the same lines as explained above in regard to Urea. No unit, in the case of Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate, has a retention price less than the ex-factory price

7. Retention prices will also be devised for the new plants producing Urea, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate as they go into production in the future.

8. Part II of the Committee's Report covering freight costs as well as the pricing of phosphatic fertilizers is expected to be received soon and Government decisions on it will be announced separately

9. These decisions come into effect from the 1st November, 1977

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. M. KELKAR, Jt Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

सं० 166(24)/77-एफ डी (ए).—निवेश पर उचित लाभ को सुनिश्चित करने और उर्वरक उद्योग का समुचित विकास करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उर्वरकों के मूल्यों के लिये एक युक्तिसंगत प्रणाली लागू करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों सहित औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष श्री एस एम मराठे की अध्यक्षता मे एक समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग मई, 1977 मे प्रस्तुत किया था जिसमे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक शामिल है। रिपोर्ट पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार ने 1 नवम्बर, 1977 से नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक उद्योग के एककों के लिये धारण मूल्य पद्धति लागू करने का निर्णय किया है। इस पद्धति को एक उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा लागू किया जाएगा और यह समिति इस पद्धति को लागू करने के लिए एक उर्वरक मूल्य निधि खाता भी रखेगी।

2. इस पद्धति मे क्षमता के 80% तक उपयोग पर आधारित प्रत्येक संयत्र के लिए प्रति मी टन यूरिया का कारखाने के बाहर शुद्ध धारण मूल्य (जो बाद मे धारण मूल्य के रूप मे कहा जाएगा) और कच्चे माल की खपत, उपयोगिता तथा अन्य निवेश, अनुरक्षण और लागतो के सम्बंध मे मानदण्डो और वास्तविकताओं के संयोजन की व्यवस्था है और शुद्ध मूल्य पर करोपरात 12% लाभ की भी व्यवस्था है। 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के लिये 21 संयत्रों मे से प्रत्येक यूरिया उत्पादन संयत्र के लिये मराठे समिति द्वारा इसी आधार पर धारण मूल्य निकाले गए है।

3. सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत 1.11.1977 से यूरिया के अधिकतम मूल्य 1158-रुपये प्रति मी टन निर्धारित किया है जिस पर निर्माता द्वारा कारखाने के द्वार पर यूरिया बेचा जा सकता है। यूरिया के मूल्य ब्यौरे निम्न प्रकार हैं —

	(रु० प्रति टन)
कारखाने से बाहर मूल्य	1158.00
उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार 15%	174.00
उर्वरक पूल समीकरण प्रभार	65.00
समीकृत भाड़ा	38.00
विक्रेता को लाभ	115.00
कुल अर्थात् अधिकतम फुटकर मूल्य	1550.00

सरकार ने पहले ही उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य 1550—रुपये प्रति मी टन अधिसूचित किया है। कंपनियां 15% पर उत्पादन शुल्क देती रहेंगी और एफ पी ई सी को 65/—रुपये प्रति मी टन अंशदान देंगी जैसे कि आजकल दिया जा रहा है।

4. इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित करने पर जिन एककों के धारण मूल्य कारखाने से बाहर मूल्य से कम हैं, जैसा कि पैरा 3 में उल्लेख किया गया है, उनको दोनों मूल्यों के अंतर को इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये अनुदेशों की पद्धति के अनुसार उपरोक्त पैरा 1 में दिये गये निधि खाते में जमा करना होगा। इस राशि को 1 नवम्बर, 1977 से आगे किसी भी निर्धारित माह में आबकारी विभाग के जरिये निकाले गये यूरिया की मात्रा के आधार पर निकाला जाएगा और उसे संबंधित माह की अंतिम तिथि से 45 दिन के अन्तर्गत निधि खाते में जमा किया जाना चाहिए। विलम्ब से जमा करने पर 16% वार्षिक ब्याज लगेगा। इस योजना के अन्तर्गत जिन एककों के धारण मूल्य कारखाने से बाहर के मूल्य से अधिक है, वे मासिक आधार पर दावे प्रस्तुत करने पर, जिसके साथ आबकारी विभाग का निकासी प्रमाण पत्र भी लगा हुआ हो, अंतर की राशि निधि खाते से प्राप्त करेंगे। इस दावे की अदायगी उसे प्राप्त करने की तिथि से 60 दिन के अन्तर्गत की जाएगी। विस्तृत कार्य और पद्धति यथा समय निर्धारित किये जायेंगे।

5 उर्वरक उद्योग समन्वय समिति रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कार्य करेगी और इस समिति में कृषि और वित्त मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे। इस समिति में उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समिति के एक कार्यपालक निदेशक होंगे और उनके कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी होंगे जो लेखों को रखेंगे, भुगतानों की वसूली करेंगे, लागत और अन्य तकनीकी कार्यों का निष्पादन करेंगे, उत्पादन आंकड़ों, अन्य सूचना लागतों का एकत्रण और विश्लेषण करेंगे तथा औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के परामर्श से समय समय पर धारण और स्थानांतरण मूल्यों की समीक्षा करेंगे और जहां कहीं संभव होगा, समायोजन करेंगे। भविष्य में मूल्य अवधि के लिए धारण और स्थानान्तरण मूल्यों को निर्धारित करने के लिए अपेक्षित जांच भी समिति द्वारा की जाएगी।

6 अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम निट्रेट, पर भी धारण मूल्य लागू किए जा रहे है। अमोनियम सल्फेट के बारे में इस प्रकार का मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है जिससे शुद्ध मूल्य पर 12% की कर के बाद वसूली को सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल अमोनियम सल्फेट के लिए धारण मूल्य, उत्पादन शुल्क और एफ पी ई सी राजस्व की छूट द्वारा राज कोष से अंशदान की सहायता के साथ यथा संभव तैयार किए गए है। अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम निट्रेट के कारखाने से बाहर मूल्य क्रमशः 625 रुपये और 686 रुपये जारी रहेगा। इन उर्वरकों के बारे में एकक को भी एकक के धारण मूल्य और कारखाने से बाहर मूल्यों के बीच में अन्तर का उसी लाइन पर निधि में से भुगतान किया जाएगा जैसा कि यूरिया के बारे में उपर्युक्त पैरा में पद्धति अपनाई गई है। अमोनियम सल्फेट और सीएएन के बारे किसी भी एकक की कारखाने से बाहर मूल्यों से धारण मूल्य कम नहीं हैं।

7. यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम निट्रेट उत्पादन करने वाले नए संयंत्रों के लिए भी जब भविष्य में वे उत्पादन शुरु करेंगे, धारण मूल्य के उपाय भी अपनाए जाएंगे।

8. समिति की रिपोर्ट के खंड–ii, के जिसमें फास्फेटिक उर्वरक के मूल्य के साथ साथ भाड़ा मूल्य शामिल है, शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है और इस पर सरकार के निर्णय अलग से घोषित किये जाएंगे।

9. ये निर्णय 1 नवम्बर, 1977 से लागू होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, लोक और राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को परिचालित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० एम० केलकर, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977